[2018] 6 एससीआर 805

रेजी, थॉमस एंड ओआरएस।

v. केरल राज्य और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 4001) 19 अप्रैल, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतनगौदर

और नवीन सिन्हा, जेजे।

केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 – धारा 69 – क्या उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 69 (3) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि को बढ़ा सकता है, जिसके भीतर केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 के तहत एक चुनाव याचिका पर विचार किया जा सकता है – माना जाता है: अधिनियम की धारा 69 राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया तंत्र है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडके (2) के तहत विचार किया गया है । संविधि के तहत चुनाव याचिका को प्राथमिकता देने के लिए एक समय अनुसूची का प्रावधान है, फिर किसी भी परिस्थिति में समय बढ़ाने के लिए क़ानून में प्रावधान के अभाव में, कोई भी अदालत, चाहे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32, 136 या 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट चुनाव मामलों में अवधि बढ़ा सकता है – चुनाव मामलों में सीमा के मामले में, न्यायालय को प्रावधानों की सख्त व्याख्या अपनानी होगी – मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया – भारत का संविधान – अनुच्छेद 243 जेडके (2) – चुनाव कानून – सीमा – विधियों की व्याख्या। मामलों

का निपटारा करते हुए,

अदालत ने कहा: मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अदालत चुनावी विवाद को प्राथमिकता देने के लिए समय बढ़ाकर पार्टियों को क़ानून के तहत वैकल्पिक उपाय के लिए नहीं भेज सकती थी। तदनुसार, उस सीमा तक आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। रिट याचिकाओं को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। यह पक्षकारों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सभी उपलब्ध विवादों को उठाने के लिए खुला होगा। [पैरा 14] [813–सी–डी]

स्मिता सुभाष सावंत बनाम जगदेश्वरी, जगदीश अमीन

और अन्य। (2015) 12 एससीसी 169: [2015] 9 एससीआर 600; संघ

805 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 6 एस.सी.आर.

किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड (1996) 4 एससीसी 453: [1996] 2 सपल एससीआर 326 पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस

[2015] 9 एससीआर 600 पैरा 11

[1996] 2 सपल पर निर्भर करता है। एससीआर 326 पैरा 12

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार:

2018 की सिविल अपील संख्या 4001 पर

निर्भर करता है।केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 02.03.2017 के निर्णय और आदेश से 2016 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 34019 में 2018 की सिविल अपील संख्या 4002–4006

के साथ

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16136–16140, 25720 और 30308–30312 के 2017 के विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 90312

के साथ।

कपिल सिब्बल, पी. वी. सुरेंद्र नाथ, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, रंजीत थम्पन, एएजी केरल, जॉर्ज पूनथोट्टम, अतुल शंकर विनोद, दिलीप पिल्लई, अजय के. जैन, विकास पाठक, एम. पी. विनोद, सुश्री रेस्मिता आर. चंद्रन, सुश्री लेखा सुधाकरन, जी. प्रकाश, जिष्णु एम.एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, विजय शंकर वी.एल., विजय मोहन वी.एल. अपीलकर्ताओं के लिए सी. के. शशि, सुश्री नयनतारा रॉय, मनुकृष्णन जी, हमिन्दर लाल अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

कुरियन, जे.

द्वारा दिया गया था।2017 की एसएलपी (सी) संख्या 15765 और 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 15768–15772

1. अनुमति दी गई।

2. क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वैधानिक अवधि बढ़ा सकता था, जिसके भीतर केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1969 (संक्षेप में, "अधिनियम") के तहत एक चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए। विचार किया गया है, क्या इन अपीलों में विचार के लिए कानूनी प्रश्न उठ रहा है।

3. विवाद तिरुवल्ला ईस्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (इसके बाद इसे "सहकारी समिति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के चुनाव से संबंधित है। 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 34019 और केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अन्य संबंधित मामले सहकारी समिति के चुनाव से संबंधित हैं। रिट याचिका में प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:–

"i) एक्सटेंशन को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की रिट, या अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। पी3 चुनाव अधिसूचना, एक्सटेंशन। पी4 प्रारंभिक मतदाता सूची, और विस्तार। P9 अंतिम मतदाता सूची.

ii) उत्तरदाताओं को समाज के सभी सदस्यों को शामिल करते हुए एक चुनावी भूमिका तैयार करने और उस मतदाता सूची को प्रकाशित और संचालित करने का निर्देश देना।

iii) यह घोषित करने के लिए कि सहकारी समिति अधिनियम की धारा 16 ए और 19 ए को लागू करते हुए चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची से सदस्यों का बहिष्कार निष्क्रिय है और जीओ (पी) द्वारा सरकार द्वारा जारी छूट आदेश के मद्देनजर। 100/16 दिनांक 15/10/2016 सोसायटी के सभी सदस्य चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं।

iv) समाज के सभी सदस्यों सहित मतदाता सूची तैयार करने और कानून के अनुसार चुनाव को फिर से अधिसूचित करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाला परमादेश या अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.10.2016 के आदेश द्वारा सभी मामलों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। खण्डपीठ ने दिनांक 01.11.2016 के आदेशानुसार अंतरिम आदेश पारित किया। आदेश इस प्रकार है:-

"1. यदि चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने नहीं आता तो हम आम तौर पर तिरुवल्ला ईस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रबंध समिति की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। इसमें कोई विवाद नहीं है कि चुनाव कैलेंडर डब्ल्यू.ए. संख्या 1869/2016 के फैसले के अनुसार प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार मतदान 05/11/2016 को होना है। लेकिन जो बात हमें चकित करती है वह यह है कि अंतिम मतदाता प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में पाए गए 611 सदस्यों के मुकाबले सूची में केवल 28 सदस्य हैं। मतदान के पात्र सदस्यों की संख्या में इतनी भारी कमी का कारण निर्वाचन अधिकारी द्वारा दायर बयान में इस प्रकार बताया गया है:

"57 वीं आम सभा की बैठक में समाज के 70,000 से अधिक सदस्यों में से केवल 94 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए। 58 वीं आमसभा में 121 सदस्य शामिल हुए. यह दर्ज किया गया है कि 59 वीं सामान्य निकाय बैठक में, 749 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। लगातार तीन सामान्य निकाय बैठकों में उपस्थिति के अवलोकन से पता चलता है कि केवल 33 सदस्यों ने लगातार सभी तीन सामान्य निकाय बैठकों में भाग लिया और उक्त 33 में से सदस्यों में से केवल 28 सदस्यों ने लगातार दो वर्षों तक बैंक की सेवा का लाभ उठाया। इस प्रकार 611-28 = 583 सदस्यों के बहिष्कार का कारण यह है कि उन्होंने मतदाता के रूप में योग्य होने के लिए लगातार सोसायटी की तीन सामान्य निकाय बैठकों में भाग नहीं लिया है। 2. हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वैधानिक केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 ए(1)(बी) में निहित प्रावधान को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत समझा गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: "16 ए। समितियों के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना:- (1) कोई भी सदस्य किसी सहकारी समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह (ए) लगातार दो वर्षों से सोसायटी की सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहा है या नियमों में निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। या उपनियम; (बी) सोसायटी की लगातार तीन आम बैठकों में शामिल नहीं हुआ है और ऐसी अनुपस्थिति को आम बैठक में सदस्यों द्वारा माफ नहीं किया गया है। इस प्रकार केवल वे सदस्य जो सोसायटी की लगातार तीन सामान्य निकाय बैठकों में से किसी एक में भी शामिल नहीं हुए हैं, सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अकेले अयोग्य हैं। अंतिम मतदाताओं में प्रारंभिक मतदाता सूची से 583 सदस्यों का निष्कासन वैधानिक प्रावधान की गलत व्याख्या के आधार पर सूची प्रथम दृष्टया अवैध है। 3. केरल की धारा 29(1)(बी) के अनुसार निर्धारित तरीके से चुनाव के उद्देश्य से वार्षिक आम सभा की बैठक बुलाई जानी है। सहकारी समिति अधिनियम। लेकिन सहकारी बैंक के उपनियमों के खंड 22 के अनुसार उसमें कारोबार करने के लिए सामान्य बैठक के लिए कोरम 50 है। सभी 28 सदस्यों के होने पर भी कोई चुनाव नहीं कराया जा सकता है सामान्य बैठक में तब उपस्थित होते हैं जब उपनियमों में निर्दिष्ट कोरम के अनुसार संख्या 50 से कम हो जाती है। डब्ल्यू.ए. संख्या 1869/2016 में निर्णय के अनुपालन में चुनाव कराने के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक एक मजाक बनकर रह जाएगी। परिस्थितियां। यह चुनाव की आड़ में केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत एक सहकारी बैंक का प्रबंधन एक प्रशासक को सौंपने का एक तरीका है। हमारी भी प्रथम दृष्टया राय है कि अधिनियम की धारा 101 के तहत छूट देने वाला सरकारी आदेश दिनांक 15/10/2016 इस सहकारी बैंक पर लागू नहीं होता है। 4. हम एक पल के लिए भी यह नहीं मान रहे हैं कि प्रारंभिक मतदाता सूची में पाए गए ये सभी 611 सदस्य मतदान करने के लिए पात्र हैं क्योंकि चुनावी विवाद में यह प्रश्न खुला है कि क्या फॉर्म 32 में एक रजिस्टर जिसके आधार पर सूची बनाई गई है केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 के तहत 611 सदस्यों की सूची तैयार की गई है। इसी प्रकार, केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16 ए और 19 ए के उल्लंघन पर भी वैधानिक विवाद उठाए जाने पर निर्णय लिया जाना चाहिए। एसएलपी संख्या 27046/2016 में केरल सहकारी सोसायटी नियमों के नियम 18 ए के संशोधित प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए कट-ऑफ तिथि

26/11/2016 स्पष्ट की गई है। प्रदीप यू.आर. मामले में फैसला और अन्य बनाम केरल राज्य सहकारी चुनाव आयोग और अन्य 2016 (4) केएचसी 93 (एफबी) को उपरोक्त के अनुसार संशोधित किया गया है। इसलिए केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों के संशोधित प्रावधानों का कार्यान्वयन 'सहकारिता वर्ष' के जन्म पर निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त सभी 611 सदस्यों को प्रबंध समिति के चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति देकर चुनाव को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्देश देकर न्याय के हित को पूरा किया जाएगा। हालाँकि यह अनंतिम होगा और इन रिट याचिकाओं और केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 के लागू होने के अधीन होगा।

5. उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अपीलों का निपटारा दिनांक 05.12.2016 के सामान्य निर्णय द्वारा किया गया। निर्णय में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं और यह उचित था कि रिट याचिकाओं का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जाए। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि "रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष खुले रखे गए हैं।" फैसले में यह भी कहा गया कि 05.11.2016 को चुनाव हुए थे और 13 सदस्य प्रबंध समिति के लिए चुने गए थे और इसलिए, इस न्यायालय ने उक्त समिति को रिट याचिकाओं में पारित अंतिम आदेशों के अधीन पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि समिति कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी। दिनांक 05.12.2016 के फैसले के पैराग्राफ 5 और 6 इस प्रकार हैं: –

“5. हालाँकि पार्टियों द्वारा कई तर्क दिए गए हैं, हम मामले की योग्यता पर जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। चूँकि, जब इस न्यायालय ने दिनांक 11.11.2016 को आदेश पारित किया, तब तक 5.11.2016 को एक प्रबंध समिति का चुनाव हो चुका था, हम 5.11.2016 को चुनी गई समिति को कुछ समय के लिए सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हुए इन अपीलों का निपटारा करते हैं। अनंतिम आधार पर, इस शर्त के साथ कि उक्त समिति केवल सहकारी समिति का दिन-प्रतिदिन का कार्य करेगी और रिट याचिकाओं का निपटारा होने तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी।

6. रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष खुले छोड़ दिए गए हैं।

6. रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.03.2017 को आक्षेपित निर्णय आया। डिवीजन बेंच का विचार था कि रिट याचिकाओं में उठाए गए विवाद अधिनियम की धारा 69 के तहत चुनावी विवाद के रूप में सुनवाई के लिए उपयुक्त थे और इसलिए, योग्यता के आधार पर तर्कों पर विचार करने से इनकार कर दिया। आक्षेपित निर्णय का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

"11। इसलिए हम याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 69(3) के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय पर निर्भर करते हैं।

जिसमें सभी तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों पर गौर किया जा सकता है। यह बताया गया है कि चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद को अधिनियम के अनुसार चुनाव की तारीख से एक महीने के भीतर उठाया जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बैंक की प्रबंध समिति का चुनाव केवल अंतरिम आदेश के आधार पर रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन किया गया था।

इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि आज से एक महीने के भीतर बैंक की प्रबंध समिति के चुनाव के संबंध में उठाए गए किसी भी विवाद को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। इस बीच वास्तव में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यह आगे का प्रश्न है, क्योंकि चुनाव संपन्न हुए तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंध समिति को बिना कोई नीतिगत निर्णय लिए अस्थायी आधार पर दैनिक कार्य करने की अनुमति दे दी है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 05.12.2016 के फैसले में दिए गए आदेश के अनुसार विवाद की समाप्ति तक यथास्थिति बनी रहेगी।"

प्रासंगिक रूप से, यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 01.11.2016 के अंतरिम आदेश में भी, न्यायालय ने यह विचार किया था कि अधिनियम की धारा 16 ए और 19 ए आदि की पात्रता, उल्लंघन, यदि कोई हो, आदि के संबंध में कुछ विवाद सभी विषय हैं। अधिनियम की धारा 69 के तहत वैधानिक विवाद का मामला।

7. गौरतलब है कि चुनाव 05.11.2016 को हो चुका था. अधिनियम की धारा 69(3) के तहत, "प्रबंधन बोर्ड या सोसायटी के किसी अधिकारी के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर सहकारी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे तारीख से एक महीने के भीतर संदर्भित नहीं किया जाता है।" चुनाव का।"

8. हालांकि, डिवीजन बेंच का विचार था कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने चुनाव से पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अंतरिम आदेश के माध्यम से, चुनाव को परिणाम के अधीन करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। रिट याचिकाओं और अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, यह उचित है कि चुनाव विवाद की सुनवाई करने वाले पक्षों को मध्यस्थता न्यायालय में स्थानांतरित करते समय, तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि दी जाए।

9. क्या धारा 69(3) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि को देखते हुए, उच्च न्यायालय इस अवधि को बढ़ा सकता था, यह प्रश्न है।

10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243ZK, जो एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है, इस प्रकार है:–

"(1) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य तुरंत पद ग्रहण करें निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर।

(2) किसी सहकारी समिति के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ऐसे प्राधिकरण या निकाय में निहित होगा, जैसा कि राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रदान किया जा सकता है। कानून द्वारा:

बशर्ते कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, ऐसे चुनावों के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है।

11. अधिनियम की धारा 69 राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZK (2) के तहत विचार किया गया है। एक बार जब क़ानून के तहत प्रदान किया गया तंत्र किसी चुनाव याचिका को प्राथमिकता देने के लिए समय–सारिणी प्रदान करता है, तो किसी भी परिस्थिति में समय बढ़ाने के लिए क़ानून में प्रावधान की अनुपस्थिति में, कोई भी अदालत, चाहे वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हो या इसके तहत यह न्यायालय हो। संविधान के अनुच्छेद 32, 136 या 142 चुनाव मामलों में अवधि बढ़ा सकते हैं। चुनावी मामलों में परिसीमन के मामले में न्यायालय को प्रावधानों की सख्त व्याख्या अपनानी होगी। यह न्यायालय स्मिता सुभाष सावंत बनाम. जगदेश्वरी जगदीश अमीन एवं अन्य। (2015) 12 एससीसी 169 में रिपोर्ट की गई, हालांकि एक अलग संदर्भ में, पैराग्राफ 33 में कहा गया है कि "चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अधिनियम में किए गए किसी प्रावधान के अभाव में, मुख्य न्यायाधीश के पास माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।" कानून में निर्धारित सीमा अवधि से परे चुनाव याचिका दायर करने में देरी"।

12. भारत संघ एवं अन्य में। बनाम किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड (1996) 4 एससीसी 453, पैराग्राफ 10 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है: –

"बनाम...अनुच्छेद 226/227 द्वारा प्रदत्त शक्ति कानून को लागू करने, कानून के शासन को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि राज्य के कई प्राधिकरण और अंग कानून के अनुसार कार्य करते हैं। इसे अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, सीमा शुल्क अधिकारियों, जो सीमा शुल्क अधिनियम का प्राणी हैं, को धारा 27 की अनदेखी करने या उसके विपरीत कार्य करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा

सकता है, चाहे संशोधन से पहले या बाद में। हो सकता है कि उच्च न्यायालय या सिविल कोर्ट उक्त प्रावधानों से बाध्य न हो लेकिन अधिनियम के तहत प्राधिकारी बाध्य हैं। न ही उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति या सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही हो सकता है। ऐसे किसी प्रतिनिधिमंडल या सम्मेलन की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती।"

13. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 01.11.2016 को अंतरिम आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से नोट किया था कि यह रिट याचिकाओं और अधिनियम की धारा 69 के अधीन था।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि न्यायालय चुनावी विवाद को प्राथमिकता देने के लिए समय बढ़ाकर पार्टियों को क़ानून के तहत वैकल्पिक उपाय में नहीं धकेल सकता था। तदनुसार, उस सीमा तक आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। रिट याचिकाएँ नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजी जाती हैं। पार्टियों के लिए यह खुला होगा कि वे सभी उपलब्ध विवादों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठा सकें। हम उच्च न्यायालय से रिट याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करते हैं।

15. हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं का निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2016 के फैसले में की गई अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी।

इन अपीलों का निपटारा उपरोक्तानुसार किया जाता है।

2017 का एसएलपी (सी) नंबर 16136–16140, 2017 का 25720, 2017 का 30308–30312 और 2018 का 9858

उपरोक्त पारित निर्णय के मद्देनजर, इन विशेष अनुमति याचिकाओं का भी निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान मामले का निस्तारण किया गया।

Digitally signed by Ashutosh - II
Date: 2023.11.02 15:32:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court